PBR/निगरानी/आगर मालवा/भू०रा०/2017/2069

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2017–आगर

1. श्रीमती प्रकाश कुंवर बाई पत्नी श्री बालू सिंह जी,
2. लाखन सिंह पिता श्री बालू सिंह जी, निवासीगण– ग्राम पिलवास तहसील नलखेड़ा जिला आगर, मालवा म.प्र. ....आवेदकगण

श्री ...... द्वारा आज दि. 3-7-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 3-7-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर महोदय आगर

.............अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त–2 बड़ागाँव तहसील नलखेड़ा, जिला आगर के प्रकरण क्रमांक री–02/2017/843 आदेश दिनांक 17.05.2017 को पारित।

श्रीमान जी,

निगरानी प्रकरण के आधार निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान क्षेत्राधिकार बह्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय ने रिकॉर्ड की सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना जो आदेश पारित किया है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
3. यहकि, विवादित आराजी निगरानीकर्ता की स्वत्व स्वामित्व आधिपत्य की है। जिसमें पूर्व में बंदोबस्त के समय रास्ता पूर्व से पश्चिम की ओर था। यह रिकॉर्डेड राजस्व रिकॉर्ड से प्रमाणित है को नजरअंदाज कर निगरानीकर्ता की आराजी को खुर्द–बुर्द कर कुछ लोगों के स्वार्थ की पूर्ति हेतु पूर्व रास्ता को इग्नोर कर निगरानीकर्ता की बिना सहमति के जबरजस्ती उत्तर से दक्षिण की ओर जो रास्ता जानबूझकर दण्डात्मक निगरानीकर्ता को परेशान करने की नियत से बनाया गया है। वह अवैधानिक अनुचित अनैतिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/आगर मालवा/भू.रा./2017/2069

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कुंवर सिंह कुशवाह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला आगर मालवा के समक्ष उपस्थित हों। प्रशासकीय सदस्य	